

केन्द्रीय विद्यालय पालुवास, भिवानी

निविदा प्रपत्र निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

1. निविदाकार का नाम _____

2. पता _____

3. पंजीकरण/लाइसेंस संख्या _____

(स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस की सत्यापित फोटोस्टेट प्रति संलग्न की जानी चाहिए या लेटर पैड या बिल बुक की प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है)

4. बिक्री कर संख्या (बिक्री कर प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए)/पैन/वैट/(जो भी लागू हो)

5. स्थापना का वर्ष _____

6. आज तक निष्पादित अनुबंध

(उसकी प्रकृति) : शासकीय, अर्ध शासकीय/निजी

कृपया एक अलग शीट में निष्पादित अनुबंधों का विवरण, दस्तावेजी प्रमाण (यदि कोई हो) सहित दें)

क)

ख)

ग)

घ)

7. हाथ में वर्तमान कार्यभार: सरकारी/अर्ध/निजी

क)

ख)

ग)

घ)

8. हर महीने स्कूल को भुगतान की जाने वाली किराए की राशि रु. _____

9. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी वस्तुएं और शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक: _____ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्टाम्प के साथ

केन्द्रीय विद्यालय पालुवास, भिवानी

कैंटीन में बेचे जाने वाले पेय पदार्थ/नाश्ते की सूची

क्र.सं.	आइटम्स	वजन दर के साथ	उद्धृत निविदाकार द्वारा दर
1	गरम कॉफ़ी	एक कप (125 मि.ली.)	
2	गरम चाय	एक कप (125 मि.ली.)	
3	गरम दूध	एक कप (125 मि.ली.)	
4	रोटी और मक्खन	2 पीसी (2 स्लाइस बड़े + वहाँ पर मक्खन	
5	सब्जी सैंडविच	दो पीस का सेट	
6	पुरी/चपाटी	4 पीसी छोले के साथ /सब्जी	
7	पूरा दोपहर का खाना	2 पुरी/चपाती, चावल, सब्जी, रायता, दाल मीठी और सलाद	
8	सब्जी पकौड़ा	1 प्लेट (50 ग्राम) के साथ चटनी	
9	वड़ा (दाल)	1 पीसी (35 ग्राम)	
10	आलू बोंडा	01 पीसी (40 ग्राम)	
11	चटनी के साथ इडली सांबर	प्लेट जिसमें 04 इडली हैं	
12	सादा डोसा (50 ग्राम) सांभर के साथ और चटनी	1 प्लेट जिसमें 2 डोसे हैं केवल	
13	मसाला डोसा (200 ग्राम) के साथ सांभर और चटनी	1 प्लेट जिसमें 1 डोसा है केवल	
14	पोहा	1 प्लेट (100 ग्राम)	
15	पाव भाजी	01 प्लेट	
16	सांभर वड़ा	01 प्लेट (2 पीसी)	
17	दही वड़ा	01 प्लेट (02 पीसी)	
18	अधिकारियों के लिए कामकाजी दोपहर का भोजन बैठक आदि	पुरी/चपाती, चावल, सब्जियाँ, रायता, दाल, मीठा और सलाद.	
19	एक दिन के भोजन की व्यवस्था ऐसी जैसे यानि एक दिन का खाना	सुबह की चाय, नाश्ता, चाय बिस्किट, दोपहर का भोजन, नाश्ते के साथ शाम की चाय और रात का खाना	1. वयस्क के लिए: 2. छात्र के लिए:
20	मासिक किराया	न्यूनतम रु. 2500 या बोलीदाता द्वारा उद्धृत.	
21	पानी और बिजली बिल	मीटर रीडिंग के अनुसार	

अनुबंध के नियम एवं शर्तें - केन्द्रीय विद्यालय पालुवास, भिवानी में कैंटीन चलाने के लिए।

1. यह समझौता प्रारंभ में फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक 12 महीने की अवधि के लिए वैध होगा और उसके बाद इसे आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. इसके साथ संलग्न खाद्य पदार्थों की सूची (अनुलग्नक-1) को इस समझौते के साथ संलग्न किया जाएगा और 12 महीने के लिए वैध होगा। ठेकेदार केवल ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो विशेष रूप से कैंटीन समिति केवी.पालुवास, भिवानी द्वारा अनुमोदित हों।
3. अनुबंध-1 में उल्लिखित सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
4. मासिक किराया न्यूनतम यानी कुल रु. 2500/- प्रति माह या फर्मों द्वारा कोटेशन में उद्धृत मासिक दर, जो बिजली और पानी के शुल्क को छोड़कर अधिक है, को हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले विद्यालय कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए और रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। पानी और बिजली का शुल्क सरकारी दरों के अनुसार लगाया जाएगा।
5. किसी भी खाद्य विषाक्तता/संदूषण के मामले में ठेकेदार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह खाद्य विषाक्तता/संदूषण के कारण होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा।
6. कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।
7. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति ठेकेदार के अपने कर्मचारी होंगे और वे प्रिंसिपल, केवी.पालुवास, भिवानी से किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं करेंगे। सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के प्रशासन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।
8. ठेकेदार अपने सभी श्रमिकों को सामान्य फिटनेस के अलावा संचारी रोगों से मुक्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सकीय जांच कराएगा।
9. ठेकेदार रसोई के साथ-साथ कैंटीन हॉल में क्रॉकरी, खाना पकाने के बर्तन, फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग आदि की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा। संगठन इसके लिए कोई सफाई सामग्री/डिस्टर आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।
10. ठेकेदार और ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा रसोई, कैंटीन हॉल और संबंधित सेवाओं के संचालन में स्वच्छता और साफ-सफाई के बहुत उच्च मानकों का पालन किया जाएगा, जिसमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों के संग्रह और कचरे और कचरे के आवधिक निपटान के लिए जिम्मेदार लोग भी शामिल होंगे।
11. कैंटीन सभी कार्य दिवसों पर स्कूल समय के दौरान खानपान के लिए खोली जाएगी।

12. ठेकेदार के.वी. से बाहर नहीं जायेगा। कैटीन प्रभारी द्वारा जारी किए जाने वाले गेट-पास के बिना किसी भी सामान या स्टोर का परिसर। ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के अनुमोदित वस्तुओं की आपूर्ति करने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर संगठन द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी।
13. केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने के संबंध में ठेकेदार द्वारा नियोजित या लगाए जाने वाले कर्मचारियों और अन्य कर्मियों या व्यक्तियों के संबंध में ठेकेदार अधिनियम के अनुसार आवश्यक अपनी लागत पर आवश्यक बीमा करेगा। और (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, कर्मचारी कर्मचारी बीमा अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952, अन्य नियम विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। और/या मूर्तियाँ जो अब उन पर लागू हो सकती हैं या जिन्हें पेश किया जा सकता है
14. ठेकेदार को के.वी. पालुवास, भिवानी में लगे सभी कर्मचारियों के नाम और वेतन दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार के जोड़/हटाने की सूचना के.वी. पालुवास, भिवानी को अवश्य दी जानी चाहिए।
15. के.वी. पालुवास, भिवानी। कार्यालय परिसर से बाहर जाते समय किसी भी समय ठेकेदार के कर्मचारियों की तलाशी लेने का अधिकार होगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत व्यक्त/महसूस नहीं की जाएगी। ठेकेदार के.वी. द्वारा अनुमोदित प्रारूप में ठेकेदार के श्रमिकों को आईडी कार्ड जारी करेगा। पालुवास, भिवानी।
16. के.वी. गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से निरीक्षण और परीक्षण के उद्देश्य से पालुवास, भिवानी के नामांकित व्यक्तियों के पास कैटीन से खाद्य पदार्थों/कच्चे माल के नमूने लेने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, ऐसे नमूने पीएफ अधिनियम में निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा लिए जाएंगे।
17. के.वी. द्वारा एक कैटीन प्रबंधन समिति नामित की जाएगी। कैटीन में स्वच्छता और पर्याप्त सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैटीन के कामकाज का निरीक्षण और निगरानी करने के लिए पालुवास, भिवानी। यदि विफलता या ठेकेदार के कारण समिति द्वारा बार-बार विफलता या कमी देखी जाती है, तो कैटीन समिति के सचिव और/या अध्यक्ष रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ठेकेदार को देय बिलों से एक बार में 2000/- रुपये की वसूली की जाएगी।

18. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैटीन परिसर में खतरनाक या ज्वलनशील या कोई नशीला पदार्थ जमा न किया जाए।
19. ठेकेदार केवी पालुवास, भिवानी के पास रुपये की राशि जमा करेगा। बोली सुरक्षा के रूप में 5,000/- (पांच हजार रुपये मात्र)। अनुबंध पूरा होने पर बोली सुरक्षा ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
20. ठेकेदार लाइसेंस को किसी को किराए पर नहीं देगा या आवंटित नहीं करेगा या कैटीन चलाने के लिए प्रदान की गई जगह का उपयोग कैटीन चलाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा और किसी को भी लाइसेंस प्राप्त परिसर में रहने या रहने की अनुमति नहीं देगा और सामान रखने या सामान रखने के लिए उसका या उसके किसी हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। कैटीन में उपयोग के लिए आवश्यक चीजों के अलावा प्रबंधन की लिखित मंजूरी के बिना इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा या करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. ठेकेदार स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा केवी पालुवास, भिवानी की संपत्ति को होने वाली सभी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार होगा और उचित उपयोग या टूट-फूट के कारण होने वाली क्षति या क्षति को छोड़कर ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। और भगवान का एक कार्य।
22. के.वी. पालुवास, भिवानी रसोई और अन्य कमरों सहित कैटीन परिसर में ठेकेदार द्वारा रखे गए किसी भी सामान, स्टोर या लेख के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
23. इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों को एक माह का लिखित नोटिस देना होगा। ठेकेदार लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद और/या यदि केवी चाहे तो उससे पहले शांतिपूर्वक लाइसेंस प्राप्त परिसर को खाली कर देगा। पालुवास, भिवानी और समय-समय पर उपलब्ध कराए गए सभी फर्नीचर, फिटिंग और अन्य वस्तुओं के साथ प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा और केवी पालुवास, भिवानी के प्रिंसिपल और समिति का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार केवी पालुवास, भिवानी की संपत्ति जैसे फर्नीचर, फिटिंग, क्रॉकरी, कटलरी, बर्तन और अन्य सामान को बिना किसी नुकसान के हटाने के लिए स्वतंत्र होगा जो ठेकेदार द्वारा लाया गया हो।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य, के.वी. का निर्णय। पालुवास, भिवानी अंतिम एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
25. ठेकेदार के पास अनुबंध अवधि के दौरान केवी पालुवास, भिवानी परिसर में केवल कैंटीन चलाने की अनुमति है और इस दस्तावेज़ में शामिल किसी भी चीज़ को उक्त केवी के कानून के तहत समाप्त नहीं माना जाएगा। पालुवास, भिवानी परिसर या उसके किसी भी हिस्से में ठेकेदार को कोई कानूनी स्वामित्व या हित नहीं दिया जाएगा।
26. कैंटीन ठेकेदार गैस बर्नर सहित सर्विंग बनाने के उद्देश्य से सभी क्रॉकरी/वर्तन लाएगा।
27. इस निविदा दस्तावेज़ के साथ विभिन्न कार्यालयों में कैटरिंग या कैंटीन चलाने में कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
28. उन कार्यालयों या संगठनों की सूची जहां कैंटीन चल रही थी या वर्तमान में चल रही है।
29. ठेकेदार को अपनी कोटेशन के साथ फर्म को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर उपलब्ध कराना होगा। पैन नंबर जमा किए बिना कोई भी भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। लागू कर प्रावधान के अनुसार सभी कर उसके भुगतान से वसूल किये जायेंगे।
30. बिस्कुट (ब्रांडेड कंपनी), स्टेशनरी आइटम (पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि) के लिए ठेकेदार द्वारा ली जाने वाली कीमतें एमआरपी/बाजार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैठकों, कार्यशालाओं, सेवाकालीन पाठ्यक्रमों, सेमिनारों आदि के लिए किसी भी अन्य भोजन की आवश्यकता पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर होगी।
31. सभी खाद्य पदार्थों (अनुलग्नक) को एक साथ मिलाकर सबसे कम कीमत पर बोली लगाने वाले बोलीदाता को अनुबंध से सम्मानित किया जाना चाहिए।
32. बिना कोई कारण बताए प्रिंसिपल, केवी पालुवास द्वारा अनुबंध सौंपने के दौरान किसी भी समय निविदा की प्रक्रिया को अस्वीकार/निलंबित किया जा सकता है।
- ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)